झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 16.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती पुष्पा देवी स०वि०स० श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स०वि०स०	पलामू जिलान्तर्गत छतरपुर अनुमण्डल एवं पाटन प्रखण्ड में पत्थर उत्खनन एवं पत्थर मिल के बड़े पैमाने पर अनुज्ञप्ति दिये गये हैं जिसमें नियम का पालन न करते हुए सैकड़ों एकड़ जमीन में अवैध तरीके से पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। मापदण्ड को ताक पर रखते हुए 300 से 400 फीट से भी अधिक गहराई से पत्थर निकाले जा रहे हैं जिससे उस इलाके का भू-जलस्तर काफी गिर गया है। क्रशर प्लांट में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर कार्य कराए जा रहें है और हजारों हाइवा ट्रक लापरवाही से चलते है जिसमें कि प्रतिमाह 25 से 30 दुर्घटनायें होते रहने से दर्जनों लोगों की मृत्यु हो रही है। इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी उत्पन्न हो रही है। अतः जनहित में वर्णित क्षेत्र के तमाम पत्थर उत्खनन कार्यों को अविलम्ब बंद कर अवैध खनन से हुए राजस्व की क्षति का आकलन करते हुए दोषी-	खान एवं भूतत्त्व

01.	02.	03.	04.
		व्यक्तियों को दंडित किया जाय साथ ही पर्यावरण एवं क्षेत्र में हो रही दुर्घटनाओं एवं अन्य समस्याओं से मुक्ति हेतु सभी पत्थर मिल को अविलम्ब बंद कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहतें हैं।	
02–	श्रीमती ममता देवी स०वि०स०	एन०एच०– 33 ललकी घाटी से एन०एच०– 23 मारंगमर्चा, सिकनी मोड़ तक 26 कि०मी० टू-लेन सड़का का निर्माण किया गया है। करीब 80 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली इस सड़क के निर्माण हुए छः माह भी नहीं बीते हैं और यह सड़क कई जगहों से उखड़ना प्रारम्भ हो गयी है। साथ ही इस सड़क के निर्माण हेतु जिन रैयतों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उन्हें अब तक विभाग द्वारा मुआवजा भी नहीं दिया गया है। अतः मैं उपर्युक्त सड़क के घटिया निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जाँच करवाने एवं रैयतों को उनके अधिग्रहित जमीन के एवज में भूमि अधिग्रहण कानून–2013 के आधार पर मुआवजा देने की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट करती हूँ।	पथ निर्माण
03	श्री केदार हजरा स०वि०स० श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता स०वि०स०	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या– 162 (3) दिनांक– 15.02.2019 के द्वारा जमुआ प्रखण्ड के शिवुडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा डेवरी प्रखण्ड के देगाडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो-दो चिकित्सक के पद सृजित है, लेकिन पदस्थापन नहीं किया गया है। अतः मैं आसन के मायम से सृजित पद के अनुरूप चिकित्सकों के पदस्थापन हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

कृ०पृ०उ०–

01.	02.	03.	04.
04–	श्री भानु प्रताप शाही स०वि०स० श्री अमर कुमार बाउरी स०वि०स० श्री नवीन जायसवाल स०वि०स०	भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र के तीन महत्त्वपूर्ण कार्य क्रमशः (1)– मेराल से होते हुए अम्बाखोरया तक पथ (2)– नगर उटारी से होते हुए अम्बाखोरया तक पथ एवं (3)– बाईबाकी नहर पक्कीकरण की निविदाओं के निस्तारण में गड़बड़ियाँ हुई है, उक्त तीनों कार्यो में कई संवेदकों के द्वारा निविदा में भाग लिया गया था, परन्तु अधिकारियों की मिलीभगत से चुनिन्दा संवेदक का ही निविदा खोला गया बाकी संवेदकों को बगैर त्रुटि के ही निविदा से बाहर कर दिया गया जो नियमानुकूल नहीं है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं कि उक्त तीनों कार्यो के निविदा निस्तार की उच्चस्तरीय जाँच कराई जाय।	पथ निर्माण/ जल संसाधन
05	श्री नारायण दास स०वि०स० श्री आलोक कुमार चौरसिया स०वि०स०	"राज्य में किसानों की आय और उसके जीवन-स्तर में आवश्यक सुधार हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर कल्याणकारी योजना का संचालन किया जाता है। इसी संदर्भ में राज्य गठन के वर्षो बाद भी जसीडीह (देवघर विधान सभा क्षेत्र) में विस्कोमान स्थापित है, जो बन्द पड़े है, विस्कोमान भवन के जीर्णोद्धार एवं कार्य प्रारम्भ होने से "आर्गेनिक खेती" में प्रयुक्त खाद की निर्माण की आवश्यकता पूर्ण होगी। विस्कोमान का गठन भी इसी संदर्भ में अविभाजित राज्य में की गयी थी। विस्कोमान में खाद एवं कृषि उत्पादकता, को बढ़ावा देने वाली सामग्रियों एवं फसलों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित कार्यों का संचालन किया जाता था। अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि उक्त विस्कोमान भवन का जीर्णोद्धार कर पूर्ववत् समय के अनुसार किसानों को लाभान्वित करने हेतु कार्य प्रारंभ कराये जाने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट करते हैं।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

राँची,
दिनांक– 16 मार्च, 2020 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ०पृ०उ०/–

ज्ञाप सं0-व्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-.....1072......./वि0 स0, राँची, दिनांक- 14/03/2020

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/खान एवं भूतत्व विभाग/पथ निर्माण विभाग/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/पथ निर्माण एवं जल संसाधन विभाग एवं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-व्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-.....1072......./वि0 स0, राँची, दिनांक- 14/03/2020

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-